



कार्यालय आदेश

विभिन्न विद्यार्थी संगठनों से प्राप्त आवेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त माननीय कुलपति ने पत्रांक-DSPMU/G/438/25 दिनांक 21/07/2025 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश में संशोधन का निदेश दिया है जो निम्नलिखित है-

- क) छात्र संघों के प्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी समस्या के समाधान के लिए उचित माध्यम से एक ज्ञापन समर्पित करना अपेक्षित होगा ताकि समस्याओं का ससमय निष्पादन किया जा सके। विश्वविद्यालय प्रशासन ज्ञापन पर विद्यार्थियों के हिताहित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगा।
- ख) नामांकन को लेकर अगर किसी अवैध गतिविधि की सूचना प्राप्त होती है तो नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

कुलपति के निदेशानुसार

ह० -
कुलसचिव

Memo No. : DSPMU/G/...../25

Date : 25/07/2025

प्रतिलिपि:

1. सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक , समन्वयक, सह-समन्वयक, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
2. सभी संकायाध्यक्ष, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
3. कुलानुशासक (इन्चार्ज), डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
4. परीक्षा नियंत्रक, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को कुलपति एवं कुलसचिव के सूचनार्थ।
6. वेबसाइट इंचार्ज, वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ हेतु।

(Signature)
25/07/25
कुलसचिव

डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय,
राँची।

25/07/25